संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर –ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /टीसी/06/उपां/नग्रानि/उज्जैन/2020/भोपाल, दिनांकः– /08/2020

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला उज्जैन

2. संयुक्त संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश,
   जिला कार्यालय, उज्जैन

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, उज्जैन
   जिला उज्जैन

4. आयुक्त
   नगरपालिक निगम्, उज्जैन ।
   जिला उज्जैन ।

विषयः– उज्जैन विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत । (ग्राम कस्बा उज्जैन सर्वे क्रमांक 1738, 1909 एवं 1920)

–0–

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा उज्जैन विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया हैं। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा हैं ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– यथोपरि

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0भोपाल

पृ. क्रमांक 2909 /टीसी/06/उपां/नग्रानि/उज्जैन/2020/भोपाल, दिनांकः– 4/08/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर शासन के पत्र क्रमांक 798/700/2020/18–6 दिनांक 17.07.2020 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0भोपाल

C:\Users\Ruksana\Desktop\Ujjan 06-20.docx

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश,भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 04 / 08 / 2020

क्रमांक 2906/06 / उपां / टीसी / उज्जैन / 2020 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक–23 सन् 1973) की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उज्जैन विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपान्तरण पश्चात् भू–उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	1. कस्बा उज्जैन	1738 1909 1920	5.027 6.908 6.083	आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	मिश्रित
		कुल रकबा	18.018 हेक्टेयर		

1. **उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होंगी।**

2. **उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु सामान्यतः फर्शी क्षेत्रानुपात 1:1.25 मान्य होगा तथा शेष विकास नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौर, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन तथा **www.mptownplan.gov.in** वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे ।

C:\Users\Ruksana\Desktop\Ujjan 06-20.docx

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति / सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, उज्जैन को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा ।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

C:\Users\Ruksana\Desktop\Ujjan 06-20.docx